मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3711
24.03.2025 को उत्तर के लिए

पर्यावरण हितैषी नवाचारों को बढ़ावा देना

3711. श्री छोटेलाल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अनेक उद्योग/स्टार्टअप पर्यावरण हितैषी नवाचार विकसित करना चाहते हैं लेकिन वित्तीय सहायता और तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है; और
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी नवाचार और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 26 सितंबर, 2024 को इकोमार्क नियम, 2024 अधिसूचित किए हैं, जिनसे इकोमार्क नियमों की संस्थागत संरचना और कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1991 की इकोमार्क स्कीम को प्रतिस्थापित किया गया है।

इन नियमों का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित करना, ऊर्जा की कम खपत, संसाधन सापेक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इन नियमों के तहत सटीक लेबलिंग सुनिश्चित करने और हरित उत्पादों के संबंध में भ्रामक जानकारी की रोकथाम का प्रयास किया गया है।

इकोमार्क को, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देते हुए व्यक्तियों को क्रय विकल्पों के संबंध में पर्यावरणीय रूप से संसूचित और जागरूक बनाते हुए समर्थ बनाने, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उपयोग, विनिर्माताओं को हरित उद्योग पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और इस प्रकार संधारणीय जीवनयापन में योगदान देने के लिए मिशन 'लाइफ' के अनुरूप किया गया है।

इकोमार्क नियम स्वैच्छिक हैं और इनका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन हेतु विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करना और हरित उद्योगों को बढ़ावा देना है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नवाचार एवं स्टार्टअप्स को संवर्धित करने और देश की स्टार्टअप पारिप्रणाली में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुदृढ़ पारिप्रणाली सृजित करने के उद्देश्य से दिनांक 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार उद्योगों और क्षेत्रों में स्टार्टअप पारिप्रणाली के विकास और संवृद्धि के लिए निरंतर रूप से विभिन्न प्रयास करती है। फ्लैगशिप स्कीमें नामत: 'फंड ऑफ फंड्स फोर स्टार्टअप्स (एफएफएस)', 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस)' और 'क्रेडिट गारंटी स्कीम फोर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस)' के तहत स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवाचार सप्ताह सहित आवधिक प्रक्रियाएं और कार्यक्रम क्रियान्वित करती है जो स्टार्टअप पारिप्रणाली के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार स्टार्टअप महाकुंभ के रूप में पारिप्रणाली चालित पहलों को भी प्रोत्साहित और समर्थन करती है, जो हितधारकों के लिए नेटवर्क और सहयोग हेतु एक जीवंत मंच के रूप में काम करती है, बाजार सुविधा में सुधार और सार्वजनिक खरीद समर्थन स्टार्टअप को अपने व्यवसायों को बढ़ाने और उनका विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए पहल भी की गई है।

स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और 'भास्कर' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के तहत संसाधनों और स्टार्टअप पारिप्रणाली सहयोग तक सुगम पहुंच को समर्थ बनाया गया है। इन उपायों को विनियामक सुधारों और अन्य पारिप्रणाली विकास संबंधी आयोजनों और कार्यक्रमों द्वारा संपूरित किया जाता है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार द्वारा किए गए संधारणीय प्रयासों से कई उद्योगों और क्षेत्रों में दिनांक 31 जनवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स संस्थाओं की संख्या बढ़कर 1,61,150 हो गई है। विशेष रूप से, दिनांक 31 जनवरी 2025 तक की स्थिति के अुनसार "ग्रीन टेक्नोलॉजी" उद्योग में 3,362 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है।

*****